कार्यालय तहसीलदार,सदर बुलन्दशहर

पत्रांक 909(10) /र0का0/मत्स्य पट्टा/2013–14 दिनांकः– 13–01–2014

प्रेस–विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि तहसील बुलन्दशहर के अन्तर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रामों के तालाबों/पोखरों को मत्स्य पालन हेतु दस वर्षीय पट्टेपर उठाने के लिए पट्टा शिविर का आयोजन तहसील बुलन्दशहर में नायब तहसीलदार नगर के न्यायालय में दिनांक **24–01–2014** को प्रातः 12:00 बजे किया जायेगा। पट्टा शिविर में पट्टा आवंटन की कार्यवाही शासनादेश सं0 3756–1–2/95 रा0–2 दिनांक 17–10–1995 के अनुसार पंजीकृत मछुआ समितियो/समुदाय/अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। पट्टा नीलामी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशानुसार रु0 10000/–प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष के हिसाब से बोली प्रारम्भ की जायेगी। इच्छुक पात्र व्यक्ति खसरा,खतौनी व प्रार्थना पत्र के साथ निर्धारित स्थान व तिथि एवं नियत समय पर उपस्थित होकर आवंटन की कार्यवाही में भाग लेने हेतु उपस्थित हों। उपस्थित व्यक्तियों में से नीलामी की बोली के आधार पर मत्स्य पालन पट्टा आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। पट्टा स्वीकृति/अस्वीकृति का पूर्ण अधिकार उपजिलाधिकारी महोदय,बुलन्दशहर का होगा।

ग्रामों की सूची निम्न प्रकार हैः–

कमांक	ग्राम का नाम	गाटा सं0	क्षेत्रफल(है0 में)	कमांक	ग्राम का नाम	गाटा सं0	क्षेत्रफल (है0 में)
1	बरारी	80	0.640	9	बकौरा	591	0.354
		175	0.453			684	1.643
2	खेतलपुर भॉसौली	166	0.417	10	इमलिया	16	1.944
		264	0.848				
3	मीरपुर	65	0.759	11	मैथना जगतपुर	238	1.020
4	हरतौली	36	1.287	12	गंगेरुवा	211	0.288
5	कैथरा	328	1.536			222	0.455
6	भटौना	97	0.247			341	0.531
		116	0.407			452	0.481
7	मानकपुर	135/1	2.453			476	0.999
		135/2	0.252			54	0.670
		177	0.822			327	0.288
8	इमलिया	16	1.944	13	सीकरी	160	0.974

तहसीलदार,सदर
बुन्दशहर

पत्रांक /र0का0/मत्स्य पट्टा/2013–14 दिनांकः–

प्रतिलिपिः–

1–जिलाधिकारी महोदय,बुलन्दशहरकी सेवा में सादर अवलोकनार्थ।

2–उप जिलाधिकारी महोदय,बुलन्दशहर की सेवा में सादर सूचनार्थ।

3–उप जिलाधिकरी/तहसीलदार,सिकन्द्राबाद/खुर्जा/स्याना/डिबाई/अनूपशहर/शिकारपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ।

4–सहायक निदेशक मत्स्य,बुलन्दशहर की सेवा में सादर सूचनार्थ।

5–जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बुलन्दशहर को इस अनरोध के साथ कि कृप्या नेट पर डालने का कष्ट करें।

6–अपर जिला सूचना अधिकारी,बुलन्दशहर को उक्त विज्ञप्ति स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।

7–राजस्व निरीक्षक वरन/अगौता/औरंगाबाद को इस निर्देश के साथ कि वह अपने क्षेत्र से सम्बंधित उक्त ग्रामों के लेखपालों को इस विज्ञप्ति का प्रचार प्रसार अपने–अपने ग्रामों में कराने तथा मुनादी की प्रति निर्धारित पट्टा शिविर की तिथि को प्रस्तुत करने हेतु।

8–नायब तहसीलदार,बुलन्दशहा को सूचनार्थ।

9–सम्बंधित ग्राम सभा प्रधान/अध्यक्ष भूमि प्रबन्धन समिति को सूचनार्थ।

तहसीलदार,सदर
बुन्दशहर